प्रेस विज्ञप्ति
22/04/2026

प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के नागरिक एवं निवासी सचिन देव दुग्गल (53B, लैंकेस्टर गेट, लंदन) को आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। यह शिकायत दिनांक 18.12.2024 की मूल अभियोजन शिकायत के क्रम में दायर की गई है, जो श्री वी.एन. धूत एवं 12 अन्य के विरुद्ध दायर की गई थी, जिस पर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है।

प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी (आरसी2172020A0002 दिनांक 23.06.2020) के आधार पर जांच प्रारंभ की, जिसमें आरोप है कि मैसर्स वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग्स लिमिटेड (वीएचएचएल), जो मैसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनी है, ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 2,773.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) सुविधा प्राप्त की। यह सुविधा कथित रूप से मोजाम्बिक, ब्राज़ील एवं इंडोनेशिया में विदेशी तेल एवं गैस परिसंपत्तियों के विकास हेतु ली गई थी। जांच से यह तथ्य उजागर हुआ कि वीडियोकॉन समूह के प्रमोटरों द्वारा लगभग 2.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया गया, जिसे विदेशी संस्थाओं के जटिल नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित किया गया।

जांच में यह सामने आया है कि स्विट्ज़रलैंड स्थित कंपनी एनहोल्डिंग्स एसए के चेयरमैन तथा भारतीय तकनीकी कंपनियों निवियो टेक्नोलॉजीज़ और इंजीनियर.एआई के वास्तविक लाभार्थी सचिन देव दुग्गल, उस सुनियोजित योजना के प्रमुख लाभार्थी थे, जिसके माध्यम से मैसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की धनराशि को विदेशी संस्थाओं की शृंखला के जरिए बाहर ले जाकर धन शोधन किया गया। यह योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जब वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दुग्गल द्वारा नियंत्रित मैसर्स निवियो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी औपचारिक ऋण अनुबंध के लगभग 17.32 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किए। इसके पश्चात 24 मई, 2011 को शीघ्रता में एक ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया, और अगले ही दिन वीडियोकॉन की एक विदेशी इकाई द्वारा दुग्गल की स्विस कंपनी एनहोल्डिंग्स एसए में 37.9 लाख स्विस फ्रैंक का निवेश अत्यधिक बढ़े हुए मूल्यांकन पर किया गया, जबकि कंपनी घाटे में संचालित हो रही थी। वर्ष 2011 से 2014 के बीच, वीडियोकॉन समूह द्वारा 37.07 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 20.12 करोड़ रुपये) की राशि को एक सुनियोजित पाँच-स्तरीय

विदेशी संरचना के माध्यम से एनहोल्डिंग्स एसए तथा सीधे सचिन देव दुग्गल को हस्तांतरित किया गया।

मैसर्स निवियो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी को दुग्गल की स्विस कंपनी एनहोल्डिंग्स एसए से ₹35 करोड़ प्राप्त हुए। यह वही अवधि थी जब वीडियोकॉन समूह द्वारा एनहोल्डिंग्स एसए में धनराशि स्थानांतरित की जा रही थी।

उसी अवधि के दौरान निवियो टेक्नोलॉजीज़ की स्वामित्व संरचना में भी परिवर्तन किया गया। एनहोल्डिंग्स एसए को निवियो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अंतिम मूल कंपनी बनाया गया तथा मैसर्स निवियो क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक मध्यवर्ती इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जो निवियो टेक्नोलॉजीज़ में शेयरधारिता रखती थी। इस पुनर्गठन के माध्यम से दुग्गल ने यह सुनिश्चित किया कि भारत और विदेश दोनों में स्थित सभी कंपनियाँ उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में बनी रहें। तथापि, इन धनराशियों का अंतिम उपयोग अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैसर्स एनहोल्डिंग्स एसए के 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार, मैसर्स निवियो में किए गए निवेश को पूर्णतः खाते बट्टे में डाल दिया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत जनवरी, 2022 से जारी अनेक समनों के बावजूद, सचिन देव दुग्गल प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा उसने ईमेल के माध्यम से केवल आंशिक एवं टालमटोलपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए।